

“भारतीय समाज में आवास एवं मलिन बस्तियों की स्थिति:समस्या एवं समाधान”

दीपिका तिवारी, शोधार्थी
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जु भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सारांश-

[भारत एक गांव प्रधान देश है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चातभारत में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से होने लगी जिसके फल स्वरूपमलिनबस्तियों का उद्भव एवं विकास होने लगा। मलिनबस्तियों के लोगों का जीवन निम्न स्तर का होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, जहां रहने वाले लोगों के जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं जैसे स्वास्थ्य का हास, नैतिक पतन, अपराध, निम्न जीवन स्तर, आयमें कमी, श्रमिकों की कुशलता पर प्रभाव संस्कृति के स्तर मेंहास आदि।गंदी बस्तियों में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं ऐसे लोग जिन्हें अन्यत्र कहीं स्थान ना मिला हो या जो दूसरी जगह रहने में असमर्थ होते हैं यहां आकर रहने लगते हैं इस प्रकार से यह वृद्धों, बीमारों, निवास रहित लोगों तथा समाज में कुसमायोजित लोगों के लिए शरण स्थल हो जाता है।प्रस्तुत लेख में मलिन बस्ती से संबंधित लगभग सभी तथ्यों को उजागर किया गया है।]

•(शब्द कुंजी)-(मलिन,बस्तियां,विचारधारा,स्थिति,उत्पत्ति,कारण,समस्याएं, समाधान एवं सुझाव)

प्रस्तावना-

वर्तमान में औद्योगिक केंद्रोंमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई है एवं उसी के अनुपात में मकानोंका निर्माण ना हो पाने के कारण वहां अनेक गंदी बस्तियां बन गई है। विश्व के प्रत्येक प्रमुख नगर में नगर के पांचवें भाग से लेकर आधे भाग तक की जनसंख्या गंदी बस्तियों अथवा उसी के समान दशाओं वाले मकानों में रहती है।नगरों की कैसर के समान इस वृद्धि को विद्वानों ने पत्थर का रेगिस्तान, व्याधिकी नगर, नरक की संक्षिप्त रूपरेखा आदि कहकर पुकारा है।गंदी बस्तियों में मकान अंधेरे वह सीलनयुक्तहोते हैं,इनमें शौचालय, स्नानघर, पानी, बिजली, हवा एवं रोशनी की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होता है, साथ ही इसमें मच्छर, खटमल, छिपकलियों, चूहों और बीमारियों के कीटाणुओं की बहुलता पाई जाती है।

गंदी बस्ती को परिभाषित करते हुए बर्गल मानते हैं, “गंदी बस्तियां नगर केवेक्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास दशा होती है एक गंदी बस्ती का सदैव एक क्षेत्र होता है एक अकेला मकान पतनकी निकृष्टअवस्था में होने पर भी एक गंदी बस्ती नहीं कहा जा सकताहै।”केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1956 में बनाए गए गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम में गंदी बस्ती को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है,“गंदी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा

निवासीय क्षेत्र है, जहां केनिवास स्थान नष्ट हो गए हो एवं अत्यधिक भीड़भाड़ युक्त हो, जिसका डिजाइन त्रुटि पूर्ण हो, जहां रोशनदान, प्रकाश व सफाई का अभाव हो या इनमें से कुछ कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रदहों।” वर्ष 1957 में गंदी बस्तियों पर हुए एक सेमिनार में गंदी बस्तीकोइस प्रकार परिभाषित किया गया हैकि, “अव्यवस्थित तरीके से बनी हुई अव्यवस्थित रूप में विकसित और समानता अपेक्षित क्षेत्र जो कि लोगों द्वारा घना बसा हुआ होता है तथा जिन में बिना मरम्मत एवं उपेक्षित मकान की भीड़भाड़होती है, वहां संचार के साधन अपर्याप्त होते हैं, सफाई व्यवस्था के प्रति उदासीनता पाई जाती है।”

गंदी बस्तियों के निर्माण एवं विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदाई है, जैसे कि प्राकृतिक प्रकोप, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण, नगरी आकर्षण, सामाजिक प्रथकता, गरीबी, मकान की कमी, शोषण एवं हृदयहीनता, श्रमिकों की अधिकता, ग्रामीण बेरोजगारी, शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव आदि ऐसे कई कारक है जो गंदी बस्तियों के निर्माण एवं विकास के लिए जिम्मेदार है।

• भारत में मलिन बस्तियां-

भारत में गंदी बस्तियों की समस्याएं पाश्चात्य देश की बस्तियों की तुलना में भिन्न हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 7 करोड़ के आसपास लोग मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। यहां गंदी अथवा मालिनबस्ती उसे कहते हैं जहां लोग गंदगी और बीमारी में बसर करते हैं।छोटे-छोटे,टूटे-फूटे मकान में अधिक संख्या में लोग रहते हैं। किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित होते हैं। आर्थिक तनाव, मादक पदार्थों के प्रचलन और अपराधी व्यवहार में ही मलिन बस्तियों में मानवका जीवन अमानवीय दशाओं में व्यतीत हो रहा है। इसलिए नेहरू ने इन्हें नरक कुंड की संज्ञा दी थी। मसानी कहते हैं कि विश्व की रचना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने और श्रम बस्तियों की शैतानों ने।

मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी समस्याएं आज भी बनी हुई है। पोषण की कमी के कारण इनमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूपों में विकासका अभाव है, जिससे उनका सामान्य जीवन भी खतरे में दिखाई देता है। भारत में अधिक जनसंख्या होने के कारण गंदी बस्तियों की भीषण समस्या उत्पन्न हुई है। निरंतर नगरीकरण और औद्योगीकरण के कारण इन बस्तियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। भारत के प्रमुख शहरों विशेष कर चारों महानगरों, इनमें इन बस्तियोंकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। मुंबई में इन्हें चाल,कानपुर में अहाते,कोलकाता में बस्ती,चेन्नई में चेरी, दिल्ली में कटरा, खान क्षेत्रों में धोवरो, बागान क्षेत्र में वैरेक्सकहा जाता है।

• मलिनबस्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए किए गए प्रयास-

आवास एवं मलिनबस्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए भारत में समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं, जैसे, कम आय वर्ग आवास योजना वर्ष 1954 में, निम्न वर्ग आवास योजना प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी मासिक आय रुपए

700 से अधिक ना हो। इस योजना की अधिकतम ऋण राशि रूपए 14,500 तक हो सकती है। वर्तमान में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। *ग्रामीण आवास योजना 1957* के अंतर्गत आवासों के उन्नयन हेतु रूपए 6000 तथा आवास निर्माण हेतु रूपए 12000 प्रदान किए जाते हैं। *गन्दी बस्तियों के पर्यावरण का सुधार 1972* के तहत पीने के पानी, जलमल निकास, स्नानघर व शौचालय बनाने, रोशनी का प्रबंध वगलियों को चौड़ा एवं पक्का करने के लिए, राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती है। *इंदिरा आवास योजना 1985-86* के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर और गैर अनुसूचित जाति/जनजातियों की श्रेणियां में आने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए मकान बनाए जाते हैं। आवास निर्माण हेतु रूपए 70000 की धनराशि दी जाती है। वर्तमान में यह योजना भी *प्रधानमंत्री आवास योजना* में समाहित की जा चुकी है। आवास वित्त योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी सम्मिलित रूप से नामित व्यक्ति को सस्ते मूल्य पर आवास देने हेतु कम ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है यह बैंक हुडको के माध्यम से भूमि विकास एवं वित्तीय कार्यक्रम चल रहा है। *अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना* को प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक ढंग से दो दिसंबर 2001 को प्रारंभ किया गया था इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब और निर्बल वर्गों के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। *निर्मल भारत अभियान* इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2002 को, की गई, इसमें सामुदायिक शौचालय की सुविधा को विस्तारित करना बताया गया है। *स्मार्ट सिटीज मिशन 2015* यह मिशन पूर्ण तथा एकीकृत योजना के सिद्धांतों पर शहरी इकोसिस्टम के विकास करने के विचार पर आधारित है जो सतत एवं समावेशी विकास पर बल देता। वर्तमान में सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी कार्यान्वयनके लिए कुल 100 शहरोंका चयन किया गया अब तक 7742 परियोजनाओं में से 5002 पूरी हो चुकी है। (तमिलनाडु में 12, उत्तर प्रदेश में 10) सर्वाधिक स्मार्ट सिटी प्राप्त करता राज्य है। *समेकित मलिन बस्ती एवं विकास कार्यक्रम* की शुरुआत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलिन विकास कार्यक्रम एसडीपी और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना को मिलाकर की गई थी, इसका उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त आवासीय और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। *प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015* को किया गया इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना था। इस योजना के लाभार्थी के लिए रूपए 70000 के लोन की भी व्यवस्था है तथा रूपए 12000 अलग से शौचालय निर्माण हेतु प्रदान करने का प्रावधान है। ऐसी सभी योजनाओंका लाभ प्राप्त होनेके कारण इनके जीवनस्तरपर कुछ हदतक सुधार देखा गया है।

•निष्कर्ष-

हमारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है की मलिन बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयत्नों में से इन बस्तियों को क्या-क्या लाभ एवं सुधार हुए हैं। समाज का वह वर्ग जो अत्यधिक मात्रा में दिन-रात परिश्रम करता है, प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण इन लोगों की स्थिति दयनीय ही रहती है। वर्तमान समय में भी उनकी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, मलिन बस्तियों जैसे शब्दों को समाप्त ही कर देना चाहिए, साफ सफाई अभी भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है वहां का वातावरण स्वच्छ होना। गंदगी से संतुलित समाज भी असंतुलित हो

जाता है, इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का नतीजा तो हम सभी देखते ही रहते हैं। हमारे समाज के श्रमिक वर्ग को भी स्वस्थ और शिक्षित रहने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही समाज के सार्वभौमिक विकास में अपना योगदान दे सकता है फिर वह एक श्रमिक हो या उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी हो, समाज के सार्वभौमिक विकास में श्रमिक वर्ग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आवासीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इन सरकारी योजनाओं का व्यावहारिक होना अति आवश्यक है। बिजली, पानी, चिकित्सा, यातायात जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। यह दरिद्रता, भुखमरी जैसी समस्याओं का जड़ से नाश होना चाहिए। वर्तमान समय में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती है वैसी ही सुविधा श्रमिकों के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए। भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का निदान होना चाहिए। सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए किया जा रहे प्रयत्नों का सीधा लाभ श्रमिक को मिलना चाहिए।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गरीबों की संस्कृति में निवास कर रहे श्रमिकों को और उनके परिवार को उचित सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो, जिससे जन-जन का कल्याण हो, प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हो ताकि उनका भी स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके और साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। भारतीय समाज में सदैव से ही श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं देखी गई है। उनका किसी न किसी रूप में हमेशा से ही शोषण होता आया है। सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों से श्रमिक वर्ग के लोगों की स्थिति में पूर्व की अपेक्षा कुछ सुधारात्मक दशाएं देखी जा रही हैं परंतु अभी भी इनकी स्थिति एक गंभीर विषय है, जिस पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सुझाव एवं सहायता देनी चाहिए ताकि इनका जीवन बेहतर और खुशहाल हो सके हैं। हाल ही में सरकार की नई स्कीम के अनुसार, भारतीय समाज एक आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए सरकार का प्रथम उद्देश्य, बेरोजगारी एवं गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए, होना चाहिए क्योंकि जब तक भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी की स्थिति बनी रहेगी भारतीय समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, बिजली, पानी आदि की समस्याएं भी बनी रहेगी। इन समस्याओं के निवारण के उपरांत ही भारतीय समाज एक आत्मनिर्भर भारत बनने में सक्षम होगा।

सन्दर्भ संकेत :-

1. भारत में गंदी बस्तियाँ एवं विकास, श्रीवास्तव नीरज 1994, जीवन पब्लिकेशन, आगरा ।
2. गंदी बस्तियों की समस्याएं, दुबे संजय 2007, विकास प्रकाशन, नई दिल्ली ।
3. सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, रविन्द्रनाथ मुखर्जी 2000 ।
4. आर. जोशी, नगरीय भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2013 ।
5. आर. जोशी, पर्यावरण भूगोल साहित्य ग्रन्थ अकादमी, आगरा 2013, ।
6. राजस्थान का भूगोल, प्रोफेसर एच एस शर्मा एवं प्रोफेसर आ मिश्रा, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
7. माथुर, ओ. पी. (2000) ए न्यू फॉर दी अर्बन पुअर स्लम्स फ्री सिटीज, नई दिल्ली: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनेन्स एण्ड पालिसी।

8. मंगल एस. के. (2009) जनरल सायकोलोजी, नई दिल्लीपब्लिशरप्राइवेट लिमिटेड।
9. अधिवास भूगोल, डॉ. एस. डी. मौर्य, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश
10. भारत (2017) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
11. भारत सरकार (2016). दिशा-निर्देश, प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास-शहरी), आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली.
12. BHATNAGAR, M. (2010). URBAN SLUMS AND POVERTY, JAIPUR: RITU.
13. S.C. AGRAWAL, INDUSTRIAL HOUSING IN INDIA.
- 14 . G.K. AGRAWAL, INTRODUCING SUB-SOCIOLOGIES, AGRA
15. BURGELL, E- E- (1955). URBAN SOCIOLOGY], NEW YORK: MACGRAW HILL.
16. GULATI. S. C., TYAGI, R. P. AND SHARMA, SURESH (2003). REPRODUCTIVE HEALTH IN DELHI SLUMS, DELHI PUBLISHING CORPORATION.
17. GOVERNMENT OF INDIA (2013). PRIMARY ABSTRACT FOR SLUM, 2011, OFFICE OF REGISTRAR GENERAL AND SENSEX COMMISSIONER, NEW DELHI.
18. MITTAL, SATISH AND SAXSENA, SUSHIL (2012). URBAN SOCIOLOGY, COMMONWEALTH.
19. सिंह, वी. एन. एवं सिंह, जनमे जय, (2005). नगरीय समाजशास्त्र,